न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 20/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड पूर्व नाम (ए. यु. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड)
पता:– मुख्या व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

...प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. बजरंग लाल मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा, निवासी रायसिंह की ढ़ाणी, चिपलाटा जिला– सीकर। हाल निवासी खसरा नम्बर 1052, प्लॉट नम्ब्र 10, शिव विहार आवासीय योजना, आ. टी. ओ. ऑफिस के पास, सीकर –332001। ऋणी/बंधनकर्त्ता
2. कौशल्या मीणा पत्नी बजरंग लाल मीणा, निवासी प्लॉट नम्बर 10, वाड नम्बर 40, शिव विहार कॉलोनी, आ. टी. ओ. ऑफिस के पास, सीकर –332001। सह ऋणी
3. हरफूल मीणा पुत्र लाल चन्द मीणा, निवासी वार्ड नम्बर 9, कंवरपुरा, सीकर –332001। जमानती

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **बजरंग लाल मीणा, कौशल्या मीणा, हरफूल मीणा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **बजरंग लाल मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा की सम्पत्ति, जो सीकर नगर के (जिला परिवहन कार्यालय के पश्चिम में शिव विहार आवासीय योजना में) स्थित आराजी खसरा नम्बर 1052 रकबा 2.8200 है. भूमि में से निष्पादितकर्ता हनुमानराम के हिस्सा 1/8 भाग की भूमि में से एक किता लघु आवासीय भूखण्ड संख्या 10 पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि को सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 233.33 वर्गगज है। जिसके पूर्व में जमीन दीगर, पश्चिम में रास्ता 30 फिट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड संख्या 11, दक्षिण में रास्ता 30 फिट चौड़ा है,** को बंधक रखकर 5,50,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख पच्चास हजार लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.11.2017** को रजिस्टर्ड

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.11.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **बजरंग लाल मीणा, कौशल्या मीणा, हरफूल मीणा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **बजरंग लाल मीणा पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा की सम्पत्ति, जो सीकर नगर के (जिला परिवहन कार्यालय के पश्चिम में शिव विहार आवासीय योजना में) स्थित आराजी खसरा नम्बर 1052 रकबा 2.8200 है. भूमि में से निष्पादितकर्ता हनुमानराम के हिस्सा 1/8 भाग की भूमि में से एक किता लघु आवासीय भूखण्ड संख्या 10 पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि को सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 233.33 वर्गगज है। जिसके पूर्व में जमीन दीगर, पश्चिम में रास्ता 30 फिट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड संख्या 11, दक्षिण में रास्ता 30 फिट चौड़ा है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner